

इलाहाबाद उच्च न्यायालय
लखनऊ
जनहित याचिका संख्या – 626/2023

संदीप सिंह

...याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

भारत संघ द्वारा सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, दिल्ली एवं 5 अन्य

... प्रतिवादी (गण)

याचिकाकर्ता (गण) के अधिवक्ता: – आशुतोष कुमार सिंह, अमित प्रकाश उपाध्याय, विजय बहादुर सिंह

प्रतिवादी (गण) के अधिवक्ता :- भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल, मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या – 1

माननीय न्यायमूर्ति राजन रॉय

माननीय न्यायमूर्ति अबधेश कुमार चौधरी

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री विजय बहादुर सिंह, विपक्षी संख्या 1 से 3 के विद्वान अधिवक्ता श्री महेंद्र कुमार मिश्रा और राज्य की विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता सुश्री आकांक्षा दुबे को सुना।

2. दिनांक 05.01.2026 को हमने निम्नलिखित आदेश पारित किया था:-

"1. दिनांक 17.7.2023 के आदेश के बावजूद, विपक्षीगण ने आज तक कोई प्रति-शपथ पत्र दाखिल नहीं किया है।

2. यहाँ सम्मिलित संक्षिप्त बिंदु यह है कि क्या महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (संक्षेप में "अधिनियम, 2005") के अंतर्गत महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत कार्य करने के लिए नियोजित श्रमिक, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (संक्षेप में "अधिनियम, 1948") के अंतर्गत न्यूनतम मजदूरी के हकदार हैं या नहीं। वास्तव में, अधिनियम, 2005 स्वयं धारा 2 (ज) के अंतर्गत न्यूनतम मजदूरी को परिभाषित करता है, जो इस प्रकार है:-

"(ज) किसी भी क्षेत्र के संबंध में "न्यूनतम मजदूरी" का अर्थ है, उस क्षेत्र में लागू कृषि श्रमिकों के लिए

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है एवं इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी एवं सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (11/1948) की धारा 3 के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी।"

3. यदि महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना, अधिनियम, 2005 के अंतर्गत है, तो स्पष्ट रूप से उक्त योजना के अंतर्गत कार्य करने वाले श्रमिकों को भुगतान की जाने वाली मजदूरी, उस क्षेत्र में लागू कृषि श्रमिकों के लिए अधिनियम, 1948 की धारा 3 के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी होनी चाहिए। यह सूचित किया गया है कि उत्तर प्रदेश राज्य में आज की तिथि में भुगतान की जा रही मजदूरी ₹230/- प्रति दिन है, जो अधिनियम, 1948 के अंतर्गत राज्य द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से कम है, हालांकि, कृषि श्रमिकों से संबंधित अधिनियम, 1948 की धारा 3 के अंतर्गत अधिसूचना या निर्णय अभिलेख पर नहीं है।

4. अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता श्री वी.पी. नाग, अधिनियम, 1948 की धारा 3 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य में कृषि श्रमिकों को देय न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करने वाले उपरोक्त संदर्भित प्रासंगिक अधिसूचनाएं या निर्णय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें।

5. विपक्षीय अगली तारीख से पूर्व रिट याचिका के प्रत्युत्तर में एक शपथपत्र दाखिल करेंगे।

6. दिनांक 21.01.2026 को सूचीबद्ध करें।

7. हम विपक्षीय को आगाह करते हैं कि यदि आवश्यक शपथपत्र दाखिल नहीं किया गया, तो हम भारी जुर्माना लगाने या दलीलों और अभिलेख पर मौजूद सामग्री के आधार पर मामले का निस्तारण करने के लिए बाध्य होंगे।"

3. हमें सूचित किया गया है कि सितंबर, 2024 में राज्य प्राधिकारियों की ओर से एक शपथपत्र दाखिल किया गया था।

4. उसका अध्ययन करने पर हमने पाया कि हमारे आदेश दिनांक 05.01.2026 में जिस बिंदु पर विचार किया गया था, उस प्रति-शपथ पत्र में उसे संबोधित नहीं किया गया है।

5. राज्य की विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता सुश्री आकांक्षा दुबे ने न्यायालय के समक्ष दो अधिसूचनाएं दिनांक 17.07.2025 और 27.03.2025 प्रस्तुत की हैं। दिनांक 17.07.2025 की अधिसूचना के अनुसार,

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है एवं इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी एवं सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश राज्य में कृषि श्रमिक के लिए न्यूनतम मजदूरी ₹252.00 प्रति दिन है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 की धारा 6 के अंतर्गत एक अन्य अधिसूचना दिनांक 27.03.2025 द्वारा भी वही मजदूरी निर्धारित की गई है, अर्थात् सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश राज्य में ₹252.00 प्रति दिन। दोनों अधिसूचनाओं को अभिलेख पर ग्रहण किया जाता है।

6. इस संबंध में पूछे जाने पर याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के पास कोई उत्तर नहीं था।

7. तदनुसार, हम इस रिट याचिका को उपरोक्त शर्तों के अंतर्गत इस टिप्पणी सहित निस्तारित करते हैं कि हमारे दिनांक 05.01.2026 के आदेश में संदर्भित महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 के अंतर्गत देय मजदूरी वही होगी जो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अंतर्गत निर्धारित की गई है, यदि महात्मा गांधी रोजगार योजना, अधिनियम, 2005 की धारा 2(ज) में निहित न्यूनतम मजदूरी की परिभाषा के आलोक में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 के अंतर्गत तैयार की गई है।

8. उपरोक्त टिप्पणियों के साथ, रिट याचिका अंततः निस्तारित की जाती है।

(न्यायमूर्ति अबधेश कुमार चौधरी) (न्यायमूर्ति राजन रॉय)

9 मार्च, 2026

आर.के.पी.